कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री सीनियर मैटेरियल मैनेजर डिपो ,उ0रे0 आलमबाग,लखनऊ।**

प्रा0प0सं0- **21/2009**

प्रार्थी की ओर से- **श्री संजय रस्तोगी,सीनियर फर्म मैटेरियल मैनेजर, नार्दन रेलवे ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अन्तर्गतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 18-03-2009 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा जानकारी चाही गयी है कि क्या उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर प्रवेश कर अधिनियम-2(डी) में वर्णित स्थानीय क्षेत्र में आता है ?

व्यापारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में यह बताया गया कि रेलवे अधिनियम की धारा 184 के अन्तर्गत कोई लोकल अथारिटी द्वारा आरोपित कर उनके ऊपर बनता नहीं तथा उनके द्वारा यह भी बताया गया कि प्रवेश कर अधिनियम की धारा 2(डी) के अन्तर्गत चूंकि लोकल एरिया की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते है अतः प्रवेश कर का कोई दायित्व नहीं बनता है ।

2- व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, लखनऊ जोन, लखनऊ ने संख्या-129 दिनांक 16-04-2009 तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)वाणिज्य कर ,संभाग बी लखनऊ ने पत्र संख्या-81 दिनांक 16-04-2009 से आख्या प्रेषित की है जिसमें यह लिखा गया है कि सम्बन्धित व्यापारी के विरुद्ध प्रवेश कर अधिनियम की धारा 10(1)के अन्तर्गत अस्थाई कर निर्धारण आदेश दिनांक 8-12-08 को पारित किये जा चुके है अतः धारा-59 का प्रार्थना पत्र ग्राहय नहीं है । उनके द्वारा यह भी बताया गया कि प्रवेश कर अधिनियम की धारा2(डी) (VIII) के अन्तर्गत संसद या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम के अधीन अन्य स्थानीय प्राधिकरण चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाय को भी "स्थानीय एरिया" की परिभाषा में शामिल किया गया है । प्रवेश कर अधिनियम की धारा 2(डी) (VIII) की परिभाषा निम्नवत् हैः-

धारा2(डी) (VIII) के अन्तर्गत

"any other local authority by whatever name called under an Act of the parliament or the state Legislature."

अतः विधिनुसार व्यापारी का रेलवे क्षेत्र भी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत "स्थानीय एरिया" के अन्तर्गत आता है । यही नहीं उक्त प्रवेश कर अधिनियम की धारा2(डी) में लोकल एरिया की परिभाषा को रेलवे क्षेत्र से एक्सक्लूड नहीं किया गया है अतः रेलवे "स्थानीय एरिया" के अन्तर्गत आता है । ऐसी स्थिति में प्रवेश कर होने की दशा में उत्तर प्रदेश में माल के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार प्रवेश कर का दायित्व बनेगा ।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री संजय रस्तोगी,सीनियर फर्म मैटेरियल मैनेजर, नार्दन रेलवे उपस्थित हुयें और उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया ।

4- मेरे द्वारा व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र,प्राप्त विभागीय आख्या का परिशीलन किया गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुना गया तथा पाया गया कि चूंकि व्यापारी के विरुद्ध अस्थाई कर निर्धारण की कार्यवाही भी की जा चुकी है अतः व्यापारी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 का

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

सर्वश्री सीनियर मैटेरियल मैनेजर डिपो ,उ0रे0 आलमबाग,लखनऊ/प्रा0प0सं0- 21/2009

प्रार्थना पत्र ग्राहय नहीं है फिर भी उठाये गये विधिक बिन्दु का उत्तर निम्नप्रकार से दिया जाता है:-

जहॉ तक रेलवे एक्ट की धारा184 का प्रश्न है व्यापारी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण प्रस्तुत मामलें में लागू नहीं होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर अधिनियम राज्य सरकार द्वारा आरोपित कर है न कि लोकल अथारिटी द्वारा आरोपित कर है। अतः रेलवे के ऊपर उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम की धारायें प्रभावी है। जहॉ तक प्रवेश कर अधिनियम की धारा 2डी का प्रश्न है प्रवेश कर अधिनियम की धारा 2(डी) (VIII) के अन्तर्गत रेलवे क्षेत्र भी "स्थानीय एरिया" के अन्तर्गत आता है । रेलवे पर भी किसी प्रवेश कर योग्य वस्तु पर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने पर उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कर का दायित्व बनेगा ।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को ,एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

ह0/2-6-09

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

दिनांकः: 02जून,2009

प्रमाणित प्रतिलिपि